पेसा कानून के तहत गाँव विकास नियोजन

विलेज प्रोफाइल

हथाई

ग्राम पंचायत - हथाई,

ब्लॉक/पंचायत समिति - दोवड़ा

तहसील एवं जिला - डूंगरपुर, राजस्थान

पीस

गाँव का इतिहास - ऐसा कहते हैं कि पुराने समय में गांव में एक हाथी था उस हाथी के कारण से इस गांव का नाम हथाई पड़ गया। गांव कितना पुराना है इस बात की जानकारी गांव वासियों को नहीं है। वह कहते हैं कि गांव सदियों पुराना है। पुराने समय में गांव जंगल से घिरा हुआ था। आसपास जंगली पशु, पक्षी और वनस्पतियां पाई जाती थी धीरे-धीरे जंगल नष्ट हो गया है और पशु-पक्षी पलायन कर गए हैं। गांव में आदिवासियों के साथ-साथ जैन, ब्राह्मण, राजपूत, यादव, जोगी, बलाई सोनी, वैष्णव, कुम्हार, हरिजन, दर्जी और कलाल आदि समाज के लोग प्राचीन काल से रहते आ रहे हैं।

गाँव का एक परिचय - डूंगरपुर जिला मुख्यालय से लगभग 22 किलोमीटर दूर उत्तर में हथाई गाँव बसा हुआ है जिसकी ग्राम पंचायत हथाई और ब्लॉक/पंचायत समिति दोवड़ा तथा तहसील एवं जिला डूंगरपुर है। गांव के उत्तर में भचड़िया, दक्षिण में फलोज, पूर्व में दरा हथाई और भोजाता और गांव के पश्चिम में रघुनाथपुरा है। गांव हथाई में 6 फले हैं जो डूंगराफला(70 घर), गगनाला (80 घर), बेड़ा-डूंगरी(60 घर), नवाघरा(65 घर), दर्जीवाडा(60 घर), यादव बस्ती(55 घर) हैं। कुल मिलाकर गाँव में करीब 500 घर और आबादी करीब 2500 है। गांव में पांच मंदिर है जिनमें से एक जैन मंदिर, एक हनुमान जी का मंदिर, दो शिव जी के मंदिर और एक माताजी का मंदिर है। गांव में गांव सभा का गठन और शिलालेख 13 फरवरी 2018 को हुआ था। लोगों को पेसा कानून की जानकारी थोड़ी बहुत है महिलाओं को पेसा कानून की जानकारी कम है। गांव में आदिवासियों में अहारी और ननोमा में उपजाति के लोग रहते हैं। गाँव के लोग गेहूं, मक्का, चना, सोयाबीन, चावल और उड़द आदि फसल पैदा करते हैं। पशुपालन भी करते हैं। उनकी खेती की जमीन पहाड़ी की ढलान, पथरीली एवं उबड़-खाबड़ है, जिससे बरसात में पैदा होने वाली मात्र एक फसल ही होती है। जिसमें दो-चार महीने खाने भर का अनाज पैदा होता है बाकी समय खाने की व्यवस्था के लिए दैनिक मजदूरी पर ही निर्भर रहना पड़ता है। गाँव में शिक्षा का अभाव है क्योंकि वह गरीबी के कारण बच्चों को पढ़ा पाने में असमर्थ है। कम उम्र में ही बच्चे परिवार की परवरिश के लिए कमाने के लिए बाहर शहरों में चले जाते हैं।

आवागमन की स्थिति - गाँव दहथाई डूंगरपुर से दोवड़ा मार्ग पर 22 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में बसा हुआ है। कहीं आने-जाने के लिए गाँव से बस, जीप और टेंपो मिलते हैं। आदिवासी परिवार पहाड़ियों पर बसे हुए हैं। वहां आने-जाने के लिए कच्चे रास्ते हैं। चार पहिया वाहन वहां नहीं पहुंच सकता। बरसात के दिनों में वहां पैदल चल पाना भी मुश्किल होता है। मुख्य सड़क से गाँव में जाने के लिए कोई साधन नहीं चलता है। पैदल या अपने साधन से मुख्य सड़क तक आना पड़ता है।

स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति - गांव में दो आंगनवाड़ी है। एक आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है जिसमें करीब 350 बच्चे और 16 अध्यापक हैं। जिसमें शौचालय एवं शुद्ध पानी के पीने की व्यवस्था ठीक नहीं है। एक निजी श्रीनिकेतन माध्यमिक विद्यालय है। गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र है। वहां पर एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। मरीज की स्थिति अगर गंभीर है तो उसको करीब 23 किलोमीटर डूंगरपुर ले जाना पड़ता है। तब कहीं जाकर उनको साधन मिलता है। पशु अस्पताल भी गाँव

में नहीं है। वह भी सात किलोमीटर दूर फलोज में ही है। डिग्री कॉलेज में पढ़ने के लिए 23 किलोमीटर दूर डूंगरपुर जाना पड़ता है।

गाँव की समस्याओं का विवरण निम्न प्रकार है-

आवागमन की कमी - डूंगरपुर मुख्य सड़क से मात्र एक पक्की सड़क गाँव में आती है और गाँव फलों के लिए कच्चे रास्ते या पगडंडी है। बरसात में आदिवासी फलों में पैदल चलना भी मुश्किल हो जाता है। पहाड़ी रास्ते उबड़ खाबड़ हैं, जिनको आर.सी.सी.सड़क या समतल करने की बेहद जरूरत है। अभी वहां केवल पैदल ही आना जाना पड़ता है।

भूमि एवं जल प्रबंधन की कमी - गांव में 25 कुए हैं(15 सूखे हैं), एक सार्वजनिक बावड़ी है जिसका पानी गाँव में सप्लाई होता है, गांव में 18 हैंडपंप, जिसमें से 10 हैंडपंप में पानी नहीं है। गाँव का चरागाह जो पहाड़ियों पर है, उस पर भी कुछ लोगों का कब्जा है। आदिवासियों के पास जो जमीन है वह पहाड़ों की ढलान पथरीली एवं उबड़-खाबड़ है जिससे उनके पास कृषि लायक भूमि नहीं है। किसी तरह से बरसात में होने वाली फसल ही पैदा कर पाते हैं सूखा पड़ने पर वह भी नहीं हो पाती है। गाँव के समतल जमीन और कुछ पहाड़ियों के ढलान पर खेती होती है लेकिन बाकी खाली पड़ी जमीन और पहाड़ियों के उपयोग की गाँव के लोगों के पास किसी भी प्रकार की योजना नहीं है। जमीन और पहाड़ियों को कब्जे में लेकर उसे उसी तरह छोड़ दिया गया है। ज्यादातर पहाड़ियां ना तो उनके नाम है न ही उनको अभी तक अधिकार पत्र ही मिले हैं। गाँव में एक तालाब है। गाँव में एक नाला निकलता है जिस पर दो एनीकट बने हुए हैं जिनमें बरसात बाद पानी सूख जाता है। गाँव में कुओं में पानी पुरे साल नहीं रहता है। सिंचाई के लिए करीब 40 लोगों ने ट्यूबवेल लगा रखे हैं जिनमें बरसात के बाद जल स्तर नीचे चला जाता है कुछ कुएं गर्मियों में सूख जाते हैं। अभी तक जल स्तर को ऊंचा करने की योजना गाँव के लोगों के पास कुछ भी नहीं है। गाँव में पीने के पानी में फ्लोराइड पाया जाता है। गर्मियों में जलस्तर नीचे चले जाने के कारण लोग ट्यूबवेल का पानी पीते हैं जिससे फ्लोराइड की मात्रा और बढ़ जाती है। इसके बारे में लोगों की कोई योजना नहीं है। गाँव में शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था के लिए कोई आर.ओ.प्लांट नहीं है।

कृषि और रोजगार की स्थिति - गाँव की उपजाऊ समतल जमीन पर वह गेहूं, मक्का, उड़द, चना, सोयाबीन और सब्जियों आदि की खेती करते हैं। शेष जमीन उबड़-खाबड़ है। जिस पर सिर्फ घास होती है। गाँव के पाटीदार पशुपालन में भैंस, गाय और बैल भी रखते हैं जिनसे कंपोस्ट खाद तैयार करके खेतों में भी डालते हैं जिनसे उनकी उपज बढ़ती है। गाँव की सभी समतल भूमि उनके पास है। आदिवासी लोगों पास पथरीली, ऊबड़-खाबड़, पहाड़ी की ढलान वाली ही जमीन है जिन पर वह खेती करते हैं। वह भी मात्र एक फसल की खेती कर पाते हैं। उनके पास सिंचाई का कोई साधन नहीं है। उनके पास इतनी कृषि भूमि भी नहीं है कि वह लोग सिंचाई की कोई व्यक्तिगत व्यवस्था कर सके। इसलिए वह साल भर में

मात्र एक फसल ले पाते हैं। कुछ के पास कृषि भूमि कम होने के कारण वह मनरेगा में मजदूरी करते हैं या गुजरात के विभिन्न शहरों में दैनिक मजदूरी के लिए चले जाते हैं। मनरेगा में मजदूरी अधितर 100 रु. से कम मिलती है और काम भी 100 दिन से कम ही मिलता है। इसलिए मनरेगा में अधिकांश महिलाएं ही जाती है। पुरुष गुजरात के विभिन्न शहरों में दैनिक मजदूरी करते है जहाँ वह 250 से 300 रुपए तक की दैनिक मजदूरी करके अपने परिवार का किसी तरह भरण पोषण करते हैं। गाँव में सरकारी नौकरी करने वाले 15 लोग है।

पशुपालन हेतु चारे व चरागाह की कमी - गाँव के कुछ लोग गाय, बैल, भेड़, बकरी और भैंस पालते हैं। गाँव के चरागाह और पहाड़ियों पर कुछ लोगों का कब्जा होने से जो घास मिलती है। वह उनके चारे की कमी को पूरा कर देती है।बाकी आदिवासी परिवारों में चारे के संकट के कारण पशुपालन नहीं हो पाता। कुछ लोगों के पास 1-2 गाय, बैल और बकरियाँ ही पशु के नाम पर हैं। चारे और पानी की कमी से गर्मियों में उनके पशु कमजोर हो जाते हैं। चारे का आभाव और अच्छी नस्ल न होने से गाय एक से डेढ़ लीटर और भैंस ढाई लीटर दूध देती है। जो केवल बच्चों के पीने के काम आता है।उनके लिये पशु पालन कर पाना कठिन है क्योंकि उनको चारा चराने की जगह उनके पास नहीं है।गरीबी के कारण चारा भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं हैं।

आजीविका के साधनों की कमी - खेती, पशुपालन और मनरेगा में मजदूरी के अलावा और कोई भी रोजगार का साधन गाँव में नहीं है। हथोड़ गांव में मुख्य सड़क जो ब्लॉक मुख्यालय दोवड़ा से आती है उस पर एक छोटी सी बाजार है जहां मुख्यत: पाटीदार परिवार के लोग दुकान लगाए हैं। जिन लोगों के पास खेती ज्यादा है। वह लोग कृषि और पशुपालन में लगे हैं। जिनके पास कृषि भूमि कम है। उन परिवारों के लोगों को गुजरात के शहरों में दैनिक मजदूरी करने जाना पड़ता है। क्योंकि मनरेगा में काम भी 60-70 दिन ही मिलता है। और मजदूरी भी 80-90 रु. प्रतिदिन ही मिलती है। जिससे उनके परिवार का गुजारा हो पाना मुश्किल है।

सरकारी योजनाओं से वंचितों की स्थिति - ज्यादातर गाँव के लोग सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं। अधिकांश लोगों को आवास योजना के अंतर्गत आवास नहीं मिले हैं। कुछ लोगों को शौचालय का भुगतान नहीं मिला है। कुछ लोगों की पेंशन पाने की उम्र भी हो चुकी है। लेकिन पहचान पत्र में उनकी उम्र कम होने से पेंशन नहीं मिल पा रही है।उम्र संशोधन कराने की एक तो जानकारी नहीं है। और दूसरा अगर इसके लिए कुछ लोग प्रयास भी करते हैं तो कर्मचारियों द्वारा उनको सहयोग नहीं मिलता। कभी-कभी उनसे इसके लिए शुल्क के अलावा अतिरिक्त पैसे की भी मांग की जाती है।यही हाल राशन की दुकानों पर भी है।कुछ लोगों का अंगूठा निशान नहीं मिलने से राशन नहीं मिलता है।कभी कभी राशन की गुणवत्ता खराब होती है।गेहूं के अलावा न तो उनको चावल और चीनी मिलती है। और न ही मिट्टी का

तेल मिलता है। जिसके कारण लोगों को रात अंधेरे में बितानी पड़ती है।सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को पढ़ने की होती है। क्योंकि बिजली भी समय से नहीं मिलती है। और जिनके पास बिजली के कनेक्शन नहीं है। उनको तो बहुत परेशानी उठानी पड़ती है।

गाँव में उपलब्ध संसाधन, उनकी हालत और संभावनाएं -

संसाधन	हालत	संभावनाएं
जल तालाब नाला कुआं हैंडपंप ट्यूबवेल	एक तालाब है और उन में पानी नहीं रहता है । 25 कुए हैं जिनमें से 15 कुए सूखे पड़े हुए हैं। गांव में 18 हैंडपंप है जिसमें से 10 हैंडपंप में पानी नहीं है बंद पड़े हैंडपंप को मरम्मत करने की योजना है। नाले पर दो एनीकट बने हैं। एनीकट पे मात्र बरसात में पानी रहता है। कुछ कुँए हैं जिनमें पानी पूरे वर्ष रहता है। कुछ कुँए गर्मियों में सूख जाते हैं। गर्मियों में भू-जल स्तर नीचे चला जाता है।	कुओं को गहरे करने की योजना, नाले पर और एनीकट बनाया जाए और गाँव के पहाड़ों के दर्रे पर एनीकट का निर्माण कर दिया जाए तो गाँव के लोगों की सिंचाई का संकट दूर हो सकता है। तो जलस्तर भी ऊंचा हो जाएगा। और गाँव में गर्मियों में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है। गाँव में बरसात के पानी को ज्यादा से ज्यादा रोक कर, कुएं रिचार्ज करके जल स्तर ऊंचा किया जा सकता है। तालाब के गहरीकरण की योजना है।
जमीन कृषि भूमि बिला नाम भूमि चरागाह	गाँव में समतल, पहाड़ी ढलान, उबड़-खाबड़, पथरीली जमीन तथा पहाड़ है। समतल जमीन उपजाऊ है। गाँव में बिला नाम जमीनें भी है जिस पर लोगों का कब्जा है। गाँव में चारागाह भी है लेकिन वह पहाड़ियों पर है। जिस पर केवल बरसात में होने वाली घास होती है जिसे चारे के रूप में लोग काट कर लाते हैं। गाँव की संपूर्ण चरागाह भूमि पर पाटीदार परिवारों का कब्जा है। समतल भूमि ही सिंचित है बाकी जमीनें असिंचित है। असिंचित भूमि पर बरसात में होने वाली फसल ही पैदा होती है। विला नाम भूमि पर लोगों का कब्जा है ।	गाँव की कुछ जमीनों का समतलीकरण करके उसे उपजाऊ बनाया जा सकता है। चारागाह भूमि, जो पहाड़ियां बिला नाम की हैं तथा गाँव की बेकार पड़ी जमीनों को गाँव सभा के अधीन करके उस पर भी वृक्षारोपण किया जा सकता है। और उससे आय के साधन बनाए जा सकते हैं। जो जमीन लोगों के खातेदारी में हैं उस पर कुछ पैदा नहीं किया जा रहा है और वह जमीन खाली पड़ी है तो उस पर भी वृक्षारोपण किया जा सकता है। जिससे लोगों की आय के साधन बढ़ सकते हैं। सब्जी की खेती भी करके आय बढ़ाई जा सकती है। कृषि भूमि की मेड़बंदी की योजना है । विला नाम भूमि पर लोगों का कब्जा है जिसे कब्जा हटाने की योजना है। चरागाह पर अतिक्रमण है अतिक्रमण हटाने

		की योजना है ।
जंगल	गाँव में जंगल की जमीन है। जिसमें कुछ कटीली झाड़ियाँ और बबूल के आलावा कोई फलदार और लघु वन उपज से आय देने वाले पेड़ नहीं है। पहाड़ी वन भूमि पर बबूल लगे हैं।	बबूल को हटाकर फलदार वृक्ष लगाने की योजना है फलदार वृक्ष लगाकर जंगलों को पुनर्जीवित किया जा सकता है।
विद्यालय	गांव में दो विद्यालय हैं जिनकी छत से पानी टपकता हैं ।	है विद्यालय भवन नया निर्माण करने की योजना है
आंगनवाड़ी	गांव में दो आंगनवाड़ी एक भवन टूटा हुआ है।	एक भवन टूटा हुआ है जिसकी मरम्मत और नए भवन का निर्माण करना
आयुर्वेदिक चिकित्सालय	गांव में आयुर्वेदिक चिकित्सालय एक है। जिसका भवन गिर गया है।	आयुर्वेदिक चिकित्सालय का भवन निर्माण करना है।
नल	नल योजना गांव में नल योजना पानी सप्लाई में अनियमितता है।	पानी नियमित और रोज मिले यह योजना है।
सामुदायिक भवन	सामुदायिक भवन टूटा हुआ है।	सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है।
पंचायत भवन	पंचायत भवन बढ़िया हालत में है।	--
राशन की दुकान	राशन की दुकान का भवन नहीं है।	राशन की दुकान बनाने की योजना है।
मंदिर	मंदिर 5 है ठीक है।	
शमशान घाट	शमशान घाट छत में टीन शेड नहीं है।	शमशान घाट पर छत और उसका परकोटा बनाने की योजना है।
सी.सी. सड़क	सी.सी. सड़क आधे अधूरे पड़े हैं	सी.सी. रोड को पूरा करवाने की योजना है।
कच्ची सड़क	कच्ची सड़क में पानी भर जाता है।	नरेगा द्वारा कार्य करने की योजना है।

गाँव सभा द्वारा चिह्नित समस्याएं, उनके कारण, प्रस्तावित समाधान एवं उनकी वरीयता -

क्र.सं.	समस्याएं	सार्वजनिक/ व्यक्तिगत	कारण	समाधान
1	**रास्ते की समस्या**	**सार्वजनिक**	पंचायत में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण गुणवत्तापूर्ण सड़के नहीं बनाई जाती है। जो सड़के बनाई जाती है। वह प्रभावशाली लोगों के घर तक बनाई जाती है। जिससे कमजोर आदिवासी लोगों के घरों तक सड़कों का	गाँव सभा कमेटियों के गठन के बाद जहां जहां रास्ते नहीं है। वहां के प्रस्ताव लिए गए हैं और उसे पंचायत की एक्शन प्लान में शामिल करवाने के बाद रास्ते का संकट का समाधान होने की संभावना है।

			अभाव है।	
2	**शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं होना**	**सार्वजनिक**	गांव में आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय है। जहाँ 12 वीं तक पढाई होती है। 10वीं से 12वीं तक केवल कला संकाय ही है। विज्ञान और वाणिज्य संकाय नहीं है। सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता के चलते शिक्षकों की पर्याप्त संख्या न होने से बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है।	इस समस्या के समाधान के लिए गाँव सभा में निर्णय लिया गया है। कि शिक्षा विभाग और जिला अधिकारियों को ज्ञापन दिया जाएगा और इसके लिए ब्लॉक के अन्य गांवों की भी मदद ली जाएगी।
3	**कृषि संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत / सार्वजनिक**	गाँव में कृषि योग्य भूमि कम है।सिंचाई की सुविधा भी नहीं है।बरसात का पानी गाँव में रोकने की कोई व्यवस्था नहीं है।उन्नत शील बीज और खाद का अभाव है।	खेतों का समतलीकरण, बरसात का पानी रोकने के लिए खेतों की मेड़ बंदी तथा कच्चे चेक डैम का निर्माण और खेत तलावड़ी का निर्माण करना। गाँव के नाले में पानी रोकने की योजना। बागवानी पर भी विशेष ध्यान देना ।
4	**आवास निर्माण, पेंशन और उसके भुगतान संबधी समस्या**	**व्यक्तिगत**	गरीबी के कारण बहुत से लोग अपने लिए आवास नहीं बना सकते हैं। गाँव में जिन लोगों को आवास की बेहद जरूरत है। उनके आवास नहीं बने हैं। जो सक्षम लोग हैं उनके आवास बन गए हैं। जिन लोगों के आवास बन भी गए हैं उनमें से कुछ लोगों का भुगतान नहीं हुआ है। यही हाल पेंशन का भी है।	गाँव के सबसे जरूरतमंद लोगों को आवास निर्माण हेत्क आवेदन कराना और उसके लिए प्रयास करना। बकाया राशि का भुगतान तुरंत करना। जिन लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है। उनको पेंशन योजना से जोड़ना। बंद पेन्शन का भुगतान तुरंत शुरू करवाना।
5	**काबिज भूमि पर खातेदारी का हक नहीं मिलना**	**सार्वजनिक**	लोग कई पीढ़ियों से गाँव में बसे हैं लेकिन जितनी भूमि पर वह काबीज है। उसकी खातेरदारी का हक उनको नहीं	काबिज भूमि पर सामूहिक दावा करना। पट्टे की जमीन जिसकी पैनल्टी राजस्व विभाग ने लेना बंद कर दिया है। उसे कोर्ट में

			मिला है। सरकार की अघोषित नीतियों के कारण राजस्व विभाग ने खातेदारी हक देना बंद कर दिया है। राजस्व विभाग द्वारा पट्टे की जमीन की पेनल्टी लेना भी बंद कर दिया है। जिसके कारण भविष्य में उनकी जमीन आसानी से छीन जाने का संकट खड़ा हो गया है। ।	जमा करना क्योंकि पेनल्टी नहीं देने से पट्टा खारिज हो जाएगा और धारा 91 के अनुसार काबीज जमीन का नियमन कराना। गाँव सभा द्वारा सबकी फाइल तैयार करके एक साथ राजस्व विभाग में दावे का मुकदमा करना।
6	**पेयजल की समस्या**	**सार्वजनिक**	गाँव के पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। बरसात का पानी गाँव में रोकने की कोई व्यवस्था नहीं होने से भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा है।	शुद्ध पीने के पानी के लिए बरसात के पानी को रोककर पीने लायक करके पीना। हैंडपंप में आर. ओ. प्लांट लगाना। बरसात के पानी को रोकने की बेहतर योजना और बोरवेल से पानी निकालने पर नियंत्रण।

संसाधन आंकलन व SWOT विश्लेषण

S- Strengths शक्तियां	W- Weakness कमजोरी	O- Opportunities अवसर	T- Threats चुनौतियां
आवागमन - गाँव में पक्की सड़कें कच्चे रास्ते	पक्की सड़क केवल प्रभावशाली फलों तक कच्चे रास्ते को आर.सी.सी. नहीं करना। पगडंडी को चौड़ा नहीं करना। गांव मुख्य सड़क से जुड़ा होने पर भी सरकारी बसों का अभाव।	गांव दोवड़ा आसपुर रोड से जुड़ा होने के कारण आवागमन की सुविधा अच्छी है। मुख्य सड़क पर गांव की एक छोटी सी बाजार भी है। गांव में अगर व्यवसाय खेती और छोटे व्यवसाय का प्रशिक्षण दिया जाए तो लोगों की आय को बढ़ाया जा सकता है।	गाँवकमेटियों का मजबूत ना होना। सरकार तथा पंचायत की उदासीनता और गाँव के लोगों में जागरूकता की कमी। आदिवासी क्षेत्रों में सरकारी विकास योजनाओं को लागू कराना।
जल नाला कुआं	भू-जलस्तर का नीचे जाना। पहाड़ों के दर्रे में एनीकट नहीं बनाना।	बरसात के पानी को योजनाबद्ध तरीके से अगर रोका जाए तो गाँव	पंचायत द्वारा इस चुनौती से निपटने को कोई कार्ययोजना नहीं

बोरवेल हैंडपंप	कुओं को रिचार्ज नहीं करना। गाँव में जल की कमी ना हो इसके लिए गाँव के लोगों की जागरूकता में कमी। पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिक मात्रा।	में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है। जिससे सिचाई और अशुद्ध पीने के पानी के संकट को दूर किया जा सकता है। और भू जल स्तर को भी ऊँचा किया जाता हैं।	होना। गाँव के लोगों की उदासीनता।
आजीविका के साधन - मनरेगा, कृषि भूमि, तालाब(मछली पालन) एनिकट(मछली पालन)	खेती की जमीन और फसल उपज कम होना। गाँव में रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होना। पशुपालन के लिए अच्छी नस्ल के पशुओं का अभाव और चारे का अभाव में दूध और मांस का कम उत्पादन होना । गांव में मजदूरी के अवसर कम मिलना। पानी और जमीन की समस्याओं के कारण बागवानी भी नहीं कर पाना। मछली पालन नहीं करना।	गाँव में खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण, चारागाह का अच्छा प्रबंधन। अच्छी नस्ल के पशुओं का पालन। सब्जी की खेती तथा उन्नतशील बीज और खाद का प्रयोग कर आय के स्रोत बढ़ाये जा सकते हैं। तालाब की मरम्मत तालाब का गहरीकरण और मछली पालन करना।	गाँव सभा का मजबूत नहीं होना। गाँव के लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन का अभाव। उबड़-खाबड़ और पथरीला और ढलान वाली होना। सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा। उन्नतशील बीज का अभाव। जमीन और पहाड़ों के बेहतर प्रबंधन की कमी।
भूमि	गाँव की खाली पड़ी जमीन और पहाड़ों का जीविका के साधन के रूप में प्रयोग नहीं होना। गाँव की सार्वजनिक जमीन पर कुछ लोगों का अवैध कब्जा। सभी लोगों के पास पर्याप्त खेती की जमीन नहीं होना। जमीन समतल न होना।	खेती की जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना। जीविका के साधन के रूप में गौण खनिज को निकलवाना। गाँव की सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जे को खाली कराना। खाली पड़ी जमीन पर वृक्षारोपण करवाना।	सभी लोगों के पास पर्याप्त जमीन का अभाव। सार्वजनिक जमीन पर अवैध कब्जा सिंचाई का अभाव खाली पड़ी जमीन के बेहतर उपयोग की योजना का अभाव।

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव का नजरिया नक्शा

नजरिया नक्शा हथाई

गाँव सभा द्वारा तैयार गाँव विकास योजना में प्रस्तावित कार्यो का विवरण -

क्र. सं.	प्रस्तावित कार्य	संख्या
1	पेंशन के सम्बन्ध में -	
	वृद्धा पेंशन	13
	वृद्धा पेंशन बकाया भुगतान	4
	विधवा पेंशन	2
	पालनहार योजना	3
	एकल नारी योजना	4
	विकलांग पेंशन	3
2	मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास के संबंध में	144
3	विद्यालय के संबंध में आदर्श माध्यमिक विद्यालय में शौचालय निर्माण एवं शुद्ध पानी के पीने की व्यवस्था	1
4	शौचालय बकाया भुगतान	14
5	राशन की दुकान का भवन निर्माण	1
6	रास्ता निर्माण	12

	कच्चा रास्ता - 4300 मीटर(7 सड़कें) सी.सी. सड़क - 2800 मीटर(5 सड़कें)	
7	तालाब गहरीकरण - घमेला तालाब गहरीकरण माताजी मंदिर के पास तलावडी का गहरीकरण और मरम्मत रिंग वाल निर्माण	1
8	नया हैंडपंप लगाने और के मरम्मत संबंध में	
9	नए हैंडपंप	10
10	हैंडपंप मरम्मत	7
11	केटेगरी 4 के कार्य खेत समतलीकरण पशु बाड़ा निर्माण नए कुए का निर्माण पुराने कुएं का गहरीकरण और मरम्मत के संबंध में	31
12	एनीकट निर्माण के संबंध में पढ़िया वाला दरा डोगरा फला में नया एनीकट जापली दरा डोंगरा फला में नया एनीकट	2
13	सामाजिक विवाद निपटाने के संबंध में	1
14	धार्मिक कुरीतियों के संबंध में बाल विवाह पर रोक बाल श्रम पर रोक मोताणा पर रोक डायन प्रथा पर रोक	1
15	सामुदायिक भवन के संबंध में सामुदायिक भवन की छत निर्माण (हथाई चौराहे पर) डोगरा फला में माता जी मंदिर के पास सामुदायिक भवन निर्माण	1
16	बस स्टैंड पर अवैध कब्जे को हटाने के संबंध में	1
17	नाली निर्माण के संबंध में	8
18	शमशान घाट निर्माण के संबंध में टीन शेड लगाना हथाई और डूंगरा फला में	2
19	आर. ओ. प्लांट लगाने के संबंध में	
	हथाई फले में पंचायत मुख्यालय में दो आर. ओ. प्लांट	2
	डूंगरा फले में एक आर. ओ. प्लांट	1
20	रोड लाइट लगाने के संबंध में गांव हथाई पूरे गांव में रोड लाइट	1

21	सार्वजनिक पेशाब घर के संबंध में बस स्टैंड हथाई के पास भोजाता रोड	1
	नया शौचालय निर्माण माताजी मंदिर डोंगरा फला में	1
22	सामुदायिक भवन चौराहे पर (हथाई चौराहा) बैठने की व्यवस्था	1

गाँव विकास नियोजन प्रक्रिया -

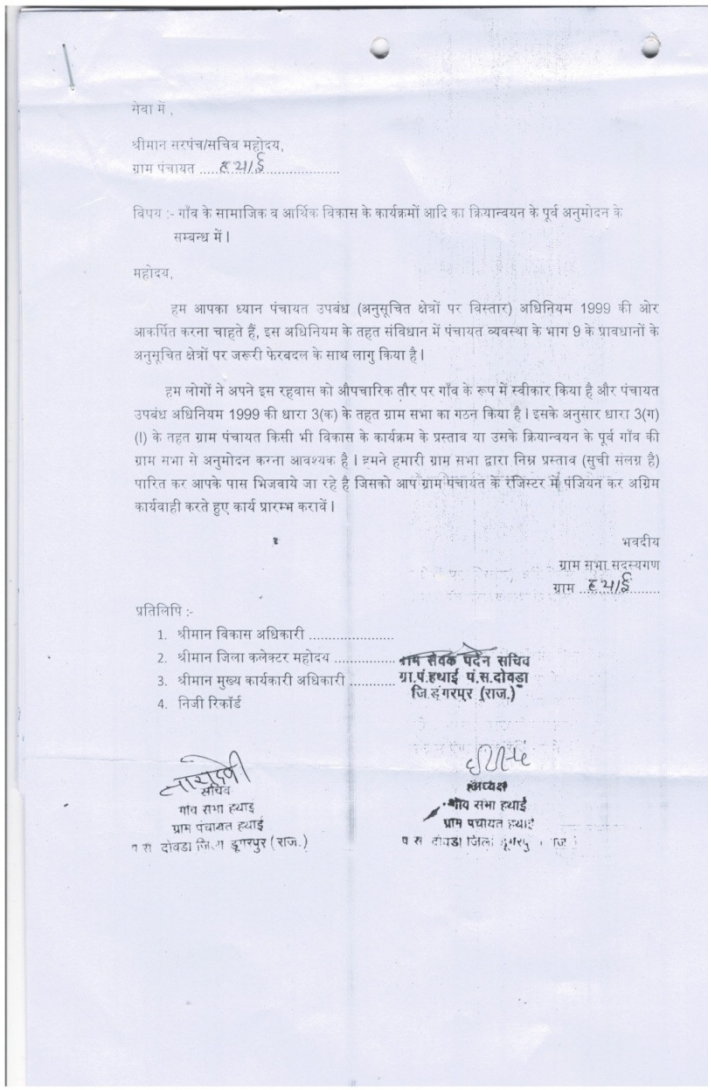

सेवा में ,

श्रीमान सरपंच/सचिव महोदय,
ग्राम पंचायत ....हथाई....

विषय :- गाँव के सामाजिक व आर्थिक विकास के कार्यक्रमों आदि का क्रियान्वयन के पूर्व अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हम आपका ध्यान पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1999 की ओर आकर्षित करना चाहते हैं, इस अधिनियम के तहत संविधान में पंचायत व्यवस्था के भाग 9 के प्रावधानों के अनुसूचित क्षेत्रों पर जरूरी फेरबदल के साथ लागु किया है।

हम लोगों ने अपने इस रहवास को औपचारिक तौर पर गाँव के रूप में स्वीकार किया है और पंचायत उपबंध अधिनियम 1999 की धारा 3(क) के तहत ग्राम सभा का गठन किया है। इसके अनुसार धारा 3(ग)(I) के तहत ग्राम पंचायत किसी भी विकास के कार्यक्रम के प्रस्ताव या उसके क्रियान्वयन के पूर्व गाँव की ग्राम सभा से अनुमोदन करना आवश्यक है। हमने हमारी ग्राम सभा द्वारा निम्न प्रस्ताव (सुची संलग्न है) पारित कर आपके पास भिजवाये जा रहे है जिसको आप ग्राम पंचायत के रजिस्टर में पंजियन कर अग्रिम कार्यवाही करते हुए कार्य प्रारम्भ करावें।

भवदीय
ग्राम सभा सदस्यगण
ग्राम ....हथाई....

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान विकास अधिकारी ....
2. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय ....
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी ....
4. निजी रिकॉर्ड

ग्राम सेवक पदेन सचिव
ग्रा.पं.हथाई पं.स.दोवड़ा
जि.डूंगरपुर (राज.)

सचिव
गांव सभा हथाई
ग्राम पंचायत हथाई
प.स. दोवडा जिला डूंगरपुर (राज.)

अध्यक्ष
गाँव सभा हथाई
ग्राम पंचायत हथाई

प्रस्ताव कवरिंग लेटर

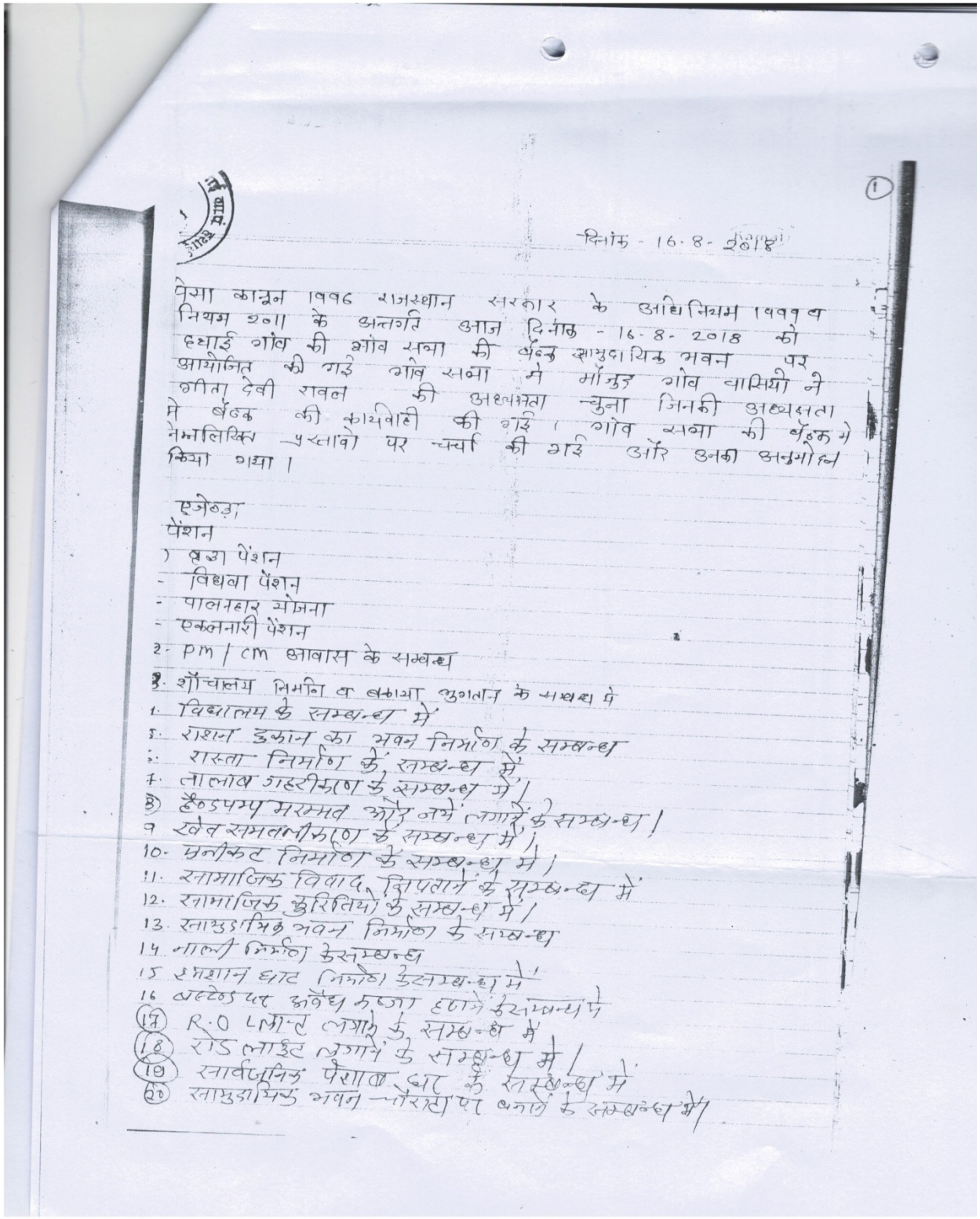

(1)

दिनांक - 16.8-2018

पेसा कानून 1996 राजस्थान सरकार के अधिनियम 1999 व नियम 2011 के अन्तर्गत आज दिनांक - 16-8-2018 को धाई गांव की ग्राम सभा की बैठक सामुदायिक भवन पर आयोजित की गई गांव सभा मे मौजूद गांव वासियो ने गीता देवी रावल की अध्यक्षता चुना जिनकी अध्यक्षता मे बैठक की कार्यवाही की गई। गांव सभा की बैठक मे निम्नलिखित प्रस्तावो पर चर्चा की गई और उनका अनुमोदन किया गया।

एजेण्डा

पेंशन

1) वृद्धा पेंशन
- विधवा पेंशन
- पालनहार योजना
- एकलनारी पेंशन

2. pm / cm आवास के सम्बन्ध
3. शौचालय निर्माण व बकाया भुगतान के सम्बन्ध मे
1. विद्यालय के सम्बन्ध में
5. राशन दुकान का भवन निर्माण के सम्बन्ध
6. रास्ता निर्माण के सम्बन्ध में
7. तालाब गहरीकरण के सम्बन्ध मे।
8) हैण्डपम्प मरम्मत और नये लगाने के सम्बन्ध।
9 खेत समतलीकरण के सम्बन्ध मे।
10. एनीकट निर्माण के सम्बन्ध मे।
11. सामाजिक विवाद निपटाने के सम्बन्ध में
12. सामाजिक कुरीतियो के सम्बन्ध मे।
13. सामुदायिक भवन निर्माण के सम्बन्ध
14 नाली निर्माण के सम्बन्ध
15 श्मशान घाट निर्माण के सम्बन्ध मे
16 चरागाह पर अवैध कब्जा हटाने के सम्बन्ध मे
(17) R.O प्लान्ट लगाने के सम्बन्ध मे
(18) रोड लाइट लगाने के सम्बन्ध मे।
(19) सार्वजनिक पेशाब घर के सम्बन्ध मे
(20) सामुदायिक भवन चौराहा पर बनाने के सम्बन्ध मे।

प्रस्ताव प्रथम पेज

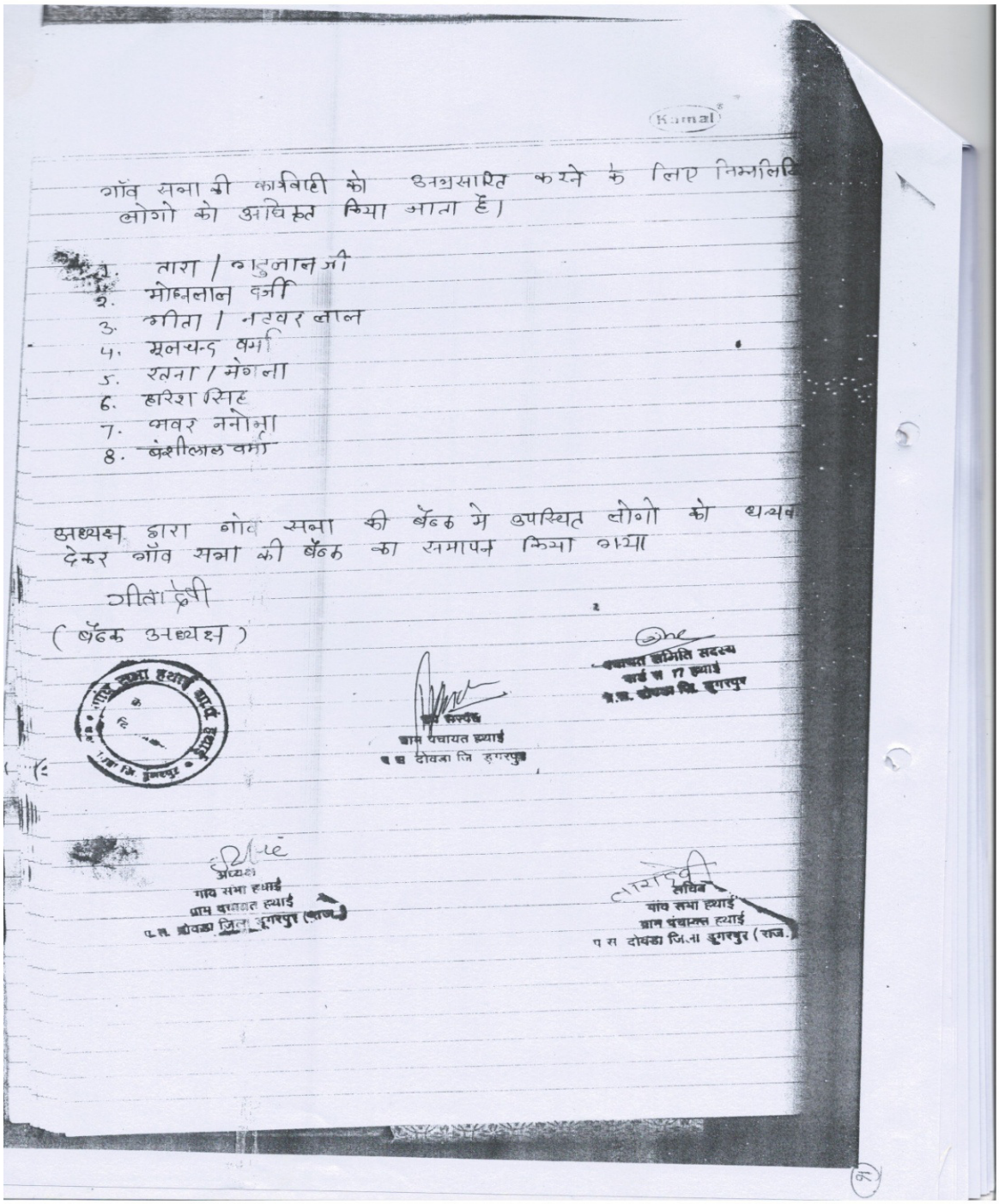

Kamal

गॉव सभा की कार्यवाही को अग्रसारित करने के लिए निम्नलिखि
लोगो को अधिकृत किया जाता है।

1. तारा / लालुलाल जी
2. मोहनलाल दर्जी
3. गीता / नटवर लाल
4. मूलचन्द वर्मा
5. रतना / मेगला
6. हरिश सिंह
7. भवर ननोमा
8. बंशीलाल वर्मा

अध्यक्ष द्वारा गॉव सभा की बैठक मे उपस्थित लोगो को धन्यव
देकर गॉव सभा की बैठक का समापन किया गया

गीता देवी
(बैठक अध्यक्ष)

पंचायत समिति सदस्य
वार्ड न 17 ह्याई
पं.स. दोवड़ा जि. डूंगरपुर

सरपंच
ग्राम पंचायत ह्याई
प स दोवड़ा जि डूंगरपुर

अध्यक्ष
गाव सभा ह्याई
ग्राम पंचायत ह्याई
प.स. दोवड़ा जिला डूंगरपुर (राज.)

सचिव
गांव सभा ह्याई
ग्राम पंचायत ह्याई
प स दोवड़ा जिला डूंगरपुर (राज.)

प्रस्ताव अंतिम पेज

हथाई गाँव में प्रस्ताव लिखते गाँव सभा के लोग

जैन मंदिर हथाई गाँव

विलेज प्लानिंग फेसिलिटेटर टीम (वीपीएफटी) -

नाम	**फोन न.**
1. नटवरलाल -	9672630494
2. तारा देवी -	7742437415
3. पुष्पा देवी -	9799879720
4. गीता देवी -	